

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () तक./उवसं/2016-17/

दिनांक:

अनुशंसा - पत्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कोलाना हवाई पट्टी के विकास एवं विस्तार के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OTHS/21735/2016 के निर्माण के लिए झालावाड़ मण्डल की असनावर रेंज का मुण्डेरी वन खण्ड में से 120.4062 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए निम्न शर्तों पर अनुशंसा की जाती है:-

1. प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि क्षेत्रफल 120.4062 में स्थित रामडी प्लान्टेशन वर्ष 2012-13 क्षेत्रफल 20 है. की लागत 5.864 लाख, मुण्डेरी प्लान्टेशन वर्ष 2013-14 क्षेत्रफल 25 है. की लागत 11.39 लाख एवं मुण्डेरी प्लान्टेशन वर्ष 2013-14 क्षेत्रफल 25 है. की लागत 11.39 लाख एवं राष्ट्रीय औषधीय प्लान्टेशन बोर्ड का औषधीय प्लान्टेशन क्षेत्रफल 10 है. लागत 10.22 लाख कुल लागत 27.474 लाख के वृक्षारोपण व्यय की देय क्षतिपूर्ति राशि।
2. प्रयुक्ता एजेंसी द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों का बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये कार्य करवाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के परिणाम स्वरूप देय दण्डनीय क्षतिपूर्ति राशि।
3. इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अन्य शर्तें।

भवदीय

(डॉ.सी.आर.मीणा)
उप वन संरक्षक
झालावाड़